



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092024-257598
CG-DL-E-30092024-257598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3902]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946

No. 3902]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASVINA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2024

सं. 31/2024-25

विषय: आइटीसी (एचएस) कोड 10063090 के तहत गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 4260(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 10 के आइटीसी (एचएस) कोड 10063090 के तहत गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

आइटीसी एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
1006 30 90	गैर-बासमती सफेद चावल (आधा पीसा हुआ या पूरी तरह से पीसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश या ग्लेज किया हो या नहीं: अन्य)	निशिद्ध	मुक्त	निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य 490 अमरिकी डॉलर/टन के अधीन है।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

अधिसूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस) कोड 10063090 के तहत गैर-बासमती सफेद चावल (आधा पीसा हुआ या पूरी तरह से पीसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश या ग्लेज किया हो या नहीं: अन्य) की निर्यात नीति को 490 अमेरिकी डॉलर/टन न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन तत्काल प्रभाव से या अगले आदेशों तक 'निशिद्ध' से 'मुक्त' कर संशोधित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/010/एम23/ईसी/ई-33294]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2024

No. 31/2024-25

Subject: Amendment in Export Policy of Non-Basmati White rice under HS code 1006 30 90.

S.O. 4260(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended time to time, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, the Central Government hereby amends the Export Policy of Non-Basmati White Rice under ITC (HS) Code 1006 30 90 of Chapter 10 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:-

ITC HS code	Item Description	Existing Export Policy	Revised Export Policy	Policy Conditions
1006 30 90	Non-Basmati White rice (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: Other)	Prohibited	Free	Export is subject to a Minimum Export Price of USD 490/tonne

2. The Notification will come into immediate effect.

Effect of the Notification:

The export policy of Non-Basmati White rice (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: Other) under **HS code 1006 30 90** is amended from 'prohibited' to 'free' subject to MEP of USD 490/tonne with immediate effect and until further orders.

[F. No. 01/91/171/010/AM23/EC /E-33294]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.